झारखण्ड सरकार
पशुपालन एवं मत्स्य (मत्स्य) विभाग

सं0सं0-म0नि0-II-उ0यो0-14/2012-13/ 05 /मत्स्य, रॉची, दिनांक 27.04.12

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, रॉची।

*अनौपचारिक रुप से परामर्शित

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार* ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2012-13 में मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन अंतर्गत राज्य योजना में झास्कोफिश का गठन योजना का मो0 80.00 लाख (अस्सी लाख) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर स्वीकृति।

महाशय,

झारखण्ड सरकार, पशुपालन एवं मत्स्य (मत्स्य) विभाग के राज्यादेश सं0-10 दिनांक 24.05.2011 के कम में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2012-13 में मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन अंतर्गत राज्य योजना में झासकोफिश का गठन योजना का मो0 80.00 लाख (अस्सी लाख) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर स्वीकृति प्रदान की है।

निबंधक सहयोग समितियॉ, झारखण्ड, रॉची के पत्रांक 1736 दिनांक 06.12.2008 द्वारा राज्य सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी समिति के रुप में झारखण्ड राज्य सहकारी मत्स्य संघ (झास्कोफिश)[JHASCOFISH] (**Jharkhand State Co-operative Fisheries Federation Ltd. Ranchi**) का निबंधन कराया गया है, जिसका निबंधन संख्या 17/एस0क्यू0आर0 दिनांक 29.11.2008 है तथा झारखण्ड सरकार, पशुपालन एवं मत्स्य (मत्स्य) रॉची के अधिसूचना सं0-70 दिनांक 15.01.2009 के द्वारा संघ के 23 सदस्यीय निदेशक मंडल का गठन किया गया है।

झास्कोफिश का गठन झास्कोफिश के माध्यम से झारखण्ड राज्य में कार्यरत मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के प्रबंधन/समितियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने/समिति के मछुआरे सदस्य को मत्स्य शिकारमाही का उचित मूल्य उपलब्ध कराने/मछलियों के विपणन में सहायता करने तथा मछुआरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है।

इस योजना से राज्य में सहकारिता के आधार पर प्राथमिक मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के माध्यम से मत्स्य उत्पादन में वृद्वि एवं मत्स्य पालकों के आय/आर्थिक स्थिति में सुधार के लिये उनके कार्यों में समन्वय स्थापित करने एवं उन्हें मार्ग-दर्शन उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जायेगी, जिसके तहत् निम्न योजनाओं की स्वीकृति प्रस्तावित है।

2. चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में इस योजना के लिये कुल मो0 80.00 लाख (अस्सी लाख) रु0 मात्र का योजना उद्व्यय प्राप्त है। राज्य योजना अंतर्गत इसका बजट उपबंध निम्न प्रकार से उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0	मांग संख्या- 53, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना-उप शीर्ष-48-झासकोफिश का गठन	स्वीकृत राशि (लाख रु0 में)
	प्राथमिक इकाईयॉ	
1	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय 15 - कार्यालय व्यय **53P240500796480315**	**2.00**
2	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय 17-मशीनरी एवं उपकरण **53P240500796480317**	**4.00**
3	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय 21-प्रचार/प्रसार/सेमिनार **53P240500796480321**	**4.00**
4	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय 23-आपूर्ति एवं सामग्री **53P240500796480323**	**0.50**
5	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय 33-दूरभाष **53P240500796480333**	**0.50**
6	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय 37-विद्युत व्यय **53P240500796480337**	**1.00**
7	विस्तृत शीर्ष-04-मोटरगाड़ियॉ 40-नई मोटरगाड़ी का कय **53P240500796480440**	**6.00**
8	विस्तृत शीर्ष-04-मोटरगाड़ियॉ 42-मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मति **53P240500796480442**	**0.50**
9	विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 43-अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण **53P240500796480543**	**5.00**
10	विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान 48-अंशदान **53P240500796480648**	**48.00**
11	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय 59-अन्य व्यय **53P240500796480759**	**8.50**
	कुल योग	**80.00**

कुल मो0 अस्सी लाख रु0 मात्र।

3. इस योजना के माध्यम से झारखण्ड राज्य सरकारी मत्स्य संघ लि0, रॉची को चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में मो0 48.00 लाख (अड़तालीस लाख) रु0 अंशदान के रुप में उपलब्ध कराने की कार्रवाई स्थापित प्रकिया एवं नियमों के आलोक में की जायेगी।

4. झास्कोफिश को राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान की राशि को व्यय करने हेतु किसी कॉपरेटिव बैंक, रॉची में सेविंग खाता खोलने एवं प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश को उसके संचालन की अनुमति पूर्व से प्रदत्त है। राशि के व्यय का अनुमोदन झास्कोफिश के निदेशक मंडल की बैठक के निर्णय के आलोक में किया जायेगा।

05
27.4.12

5. झासकोफिश कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह पर आयोजित की जायेगी एवं झासकोफिश को समितियों के कल्याणार्थ और सक्रिय बनाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव झास्कोफिश के निदेशक मंडल की बैठक में लाया जायेगा।

6. मत्स्य सहकारी समितियों के सदस्य मत्स्य कृषकों के सामाजिक, आर्थिक विकास हेतु झासकोफिश द्वारा ठोस एवं प्रभावी कार्रवाई करने हेतु 15 जून, 2012 तक प्रस्ताव उपस्थापित किया जायेगा।

7. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉंची एवं उप मत्स्य निदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, रॉंची होंगे, जो दिये गये आबंटन के अंतर्गत राशि की निकासी डोरण्डा कोषागार से करेगें। निदेशक मत्स्य, झारखण्ड / उप मत्स्य निदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, रॉंची द्वारा आहरित राशि प्रबंध निदेशक, झासकोफिश को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रबंध निदेशक, झासकोफिश द्वारा किये गये व्यय का अनुमोदन झास्कोफिश के निदेशक मंडल की बैठक में प्राप्त कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को स-समय भेजा जायेगा।

8. नई मोटरगाड़ी का कय प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति के पश्चात् एवं कय की स्थापित प्रक्रिया के अधीन किया जायेगा। इस राशि का आवंटनादेश भी प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति के पश्चात् ही निर्गत किया जायेगा।

9. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, झारखण्ड, रॉंची होगें।

10. योजना में अनुदान मद की मो0 48.00 लाख (अड़तालीस लाख) रू0 की राशि जो विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-48- अंशदान से विकलनीय होगी, के लिये प्राधिकार पत्र की आवश्यकता है।

11. (क) चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में संगत शीर्ष में उपबंधित राशि की अधिसीमा के अंतर्गत ही विभागीय स्तर से आवंटन आदेश निर्गत होगा।

(ख) राशि की निकासी एवं व्ययन के कम में पूर्ण पारदर्शिता के साथ सभी स्थापित नियमों/ विहित प्रक्रियाओं का पालन किये जाने एवं स्वीकृत राशि का विचलन या द्रुविनियोग नहीं हो अन्यथा इसके लिये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

(ग) निर्माण कार्य के प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अनिवार्य होगी।

(घ) योजना का डुप्लीकेशन यानी सदृश्य कार्य के लिये दुसरे स्रोत से राशि प्राप्त होने पर तत्संबंधी सूचना अविलम्ब नियंत्री पदाधिकारी को देने का दायित्व संबंधित पदाधिकारी का होगा।

12. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आबंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

13. राशि का व्यय स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जायेगी।

14. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमंडल, सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड के प्रसंगाधीन अधिसूचना ज्ञापांक सी0एस02/आर0-01/2005-188 दिनांक 13.12.2012 के द्वारा विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के अधीन है।

05
27.4.12

15. स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री जी की सहमति प्राप्त है।

16. स्वीकृत्यादेश प्रारुप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

17. महालेखाकार, झारखण्ड, रॉची से आग्रह है कि विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-48-अंशदान मद में स्वीकृत मो0 48.00 लाख रु0 मात्र के विरुद्ध आवंटित राशि की निकासी हेतु कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा को प्राधिकार पत्र निर्गत करते हुये इसकी प्रति निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची एवं अधोहस्ताक्षरी को देने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन

27.4.12

(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 05 /मत्स्य, रॉची, दिनांक 27.4.12

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, डोरंडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

27.4.12
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 05 /मत्स्य, रॉची, दिनांक 27.4.12

प्रतिलिपि :: निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची/ उप मत्स्य निदेशक, किसान प्रशिक्षण केन्द्र, रॉची/प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, झारखण्ड, रॉची/कार्यपालक अभियंता, पशुपालन एवं मत्स्य, झारखण्ड, रॉची/उप मत्स्य निदेशक, रॉची तथा हजारीबाग/ सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

27.4.12
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 05 मत्स्य / रॉची , दिनांक 27.4.12

प्रतिलिपि अनुलग्नक सहित योजना विकास एवं कार्यान्वयन विभाग, झारखण्ड, रॉची / वित्त विभाग, बजट शाखा एवं योजना शाखा / आ0 वि0 सलाहकार, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित ।

27.4.12
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 05 मत्स्य / रॉची , दिनांक 27.4.12

प्रतिलिपि अनुलग्नक सहित माननीय विभागीय मंत्री जी के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉची के सचिव तथा सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

27.4.12
सरकार के सचिव।